(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2018/1497 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-12-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वांलियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 597/अपील/2011-12

उल्लास गुप्ता पुत्र श्री हर्ष गुप्ता
निवासी शब्द प्रताप आश्रम ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1-श्रीमती विनीता प्रधान पत्नी स्व0श्री तिलक प्रधान
2-कु.सुचि पुत्री स्व.श्री तिलक प्रधान नाबालिग
सरपरस्त मॉ श्रीमती विनीता प्रधान
निवासीगण प्रधान साहब का बाडा, लश्कर,
ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री संतोष वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदिकापक्ष एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/2/19 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 169/190/110 के अन्तर्गत पुरानी छावनी की भूमि सर्वे क्रमांक 792, 808, 809 कुल रकबा 1.923 हेक्टेयर पर निरन्तर काबिज होने एवं अतिरिक्त जिला जज ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2ए/2004 ई.दी. में पारित आदेश दिनांक 30-3-2005 के अनुक्रम में नामान्तरण की मांग की गई । तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/2007-08/अ-46 दर्ज कर कार्यवाही की गई एवं दिनांक 24-12-2009 को धारा 169 के अधिकार दिये जाकर धारा 190/110 की कार्यवाही निरस्त की गई । तहसील न्यायालय की इस कार्यवाही के विरूद्ध तिलक प्रधान के द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11-5-2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-12-2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदकपक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयावधि के बाहर प्रस्तुत अपील में पारित आदेश विचाराधिकार रहित आदेश था, यह आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्पष्टतः उठाया गया था, परन्तु अपर आयुक्त ने अपने आदेश में इस वैधानिक आधार का उल्लेख नहीं किया है इस कारण अपर आयुक्त का आदेश अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) विवादित भूमि पर आवेदक का निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है यह तथ्य अनावेदकपक्ष की जानकारी में होते हुये भी अनावेदकों ने आवेदक के आधिपत्य को हटाने के लिये कभी कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की है, ऐसी स्थिति में एकमात्र निष्कर्ष यही निकाला जा सकताहै कि आवेदक का आधिपत्य अनावेदकों की सहमति से है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 169 में विहित विधि को अनदेखा कर जो आदेश पारित किये हैं वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अपर आयुक्त ने तहसील न्यायालय के आदेश में संहिता की धारा 168 के उल्लंघन न होने की टिप्पणी अपने आदेश में की है जबकि धारा 169 में स्पष्ट है कि धारा 168 का उल्लंघन न होते हुये भी यदि किसी भूमि स्वामी की भूमि पर कोई व्यक्ति दो वर्ष से अधिक अवधि तक आधिपत्य में रहकर कृषि कार्य करता है तथा भूमिस्वामी उसका आधिपत्यधारी हटाने के लिये संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं करता है, तब ऐसे आधिपत्यधारी को मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । अपर आयुक्त ने असंबंधित कारण दर्शाते हुये विवादित आदेश पारित करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया गया है ।

(5) अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रस्तुत करने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं दिया गया और ना ही आवेदक को उक्त निर्णय के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिये अवसर दिया गया इस कारण अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत उक्त निर्णय ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं था।

(6) आवेदक ने तहसील न्यायालय में विवादित भूमियोंके समस्त अभिलिखित भूमिस्वामीयों के विरूद्धआवेदन दिया था अनावेदक ने प्रथम अपील में मात्र आवेदक को पक्षकार बनाया था किसी अन्य सहभूमिस्वामी को पक्षकार नहीं बनायाथा इस कारण प्रथम अपील आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से ग्राह्य योग्य ही नहीं थी । इस तथ्य पर अपर आयुक्त द्वारा भी कोई विचार नहीं किया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) आवेदक ने माननीय उच्चतम न्यायालय का एस.एल.पी. नम्बर 38329/2012 आदेश दिनांक 14-11-2018 भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 6-12-2012 के आदेश को निरस्त किया गया है तथा उक्त आदेश के प्रकाश में निर्णय करने का अनुरोध किया गया । अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदिकापक्ष के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में नायब तहसीलदार ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के प्रकरण क्रमांक 2ए/2004 में पारित आदेश जिसके द्वारा

प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक पक्ष का आधिपत्य माना गया है तथा खसरों आदि की प्रविष्टि को आधार बनाकर आवेदक के पक्ष में निर्णय दिया था । जिसकी समयबाधित अपील बिना समय सीमा में छूट का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार किया है । अनुविभागीय अधिकारी ने एक बार जब अतिरिक्त जिला जज ने यह मान लिया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक पक्ष का पुराना तथा विधिवत प्राप्त आधिपत्य है, जिसे हटाने के लिये समय सीमा में अनावेदक ने संहिता की धारा 250 की भी कार्यवाही नहीं की तब उन्होंने किस आधार पर तहसील के निष्कर्ष को गलत माना, यह स्पष्ट नहीं है । अपर आयुक्त ने इस आधार पर तहसील न्यायालय के निर्णय को अमान्य किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील क्रमांक 295/2005 में पारित आदेश दिनांक 6-12-2012 द्वारा अपर जिला न्यायाधीश का निर्णय निरस्त किया जा चुका है । अब आवेदक ने माननीय उच्चतम न्यायालय का एस.एल.पी. नम्बर 38329/2012 में दिनांक 14-11-2018 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भूमि पर आधिपत्य के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले है, वह बिना आधार के हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय को पुन:निर्णय लेने के निर्देश दिये है । प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का जो भी अंतिम निर्णय होगा वह उभयपक्ष पर बन्धनकारी होगा।

6/ वर्तमान में विधि की स्थिति यही है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 06-12-2012 निरस्त होने से अपर जिला न्यायाधीश का निष्कर्ष पुन: प्रभाव में आ गया है । ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय में निष्कर्ष के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के निर्णय विधिनुकूलन नहीं होने से स्थिर नहीं रखे जाने से निरस्त किये जाते हैं । नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 24-12-2009 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर